प्र.पी.316ए

S-4

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू रायपुर
अपराध कमांक–09/15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी) सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

अरविन्द सिंह ध्रुव पिता श्री गणेश सिंह ध्रुव आयु 44 साल निवासी के0के0 रोड मौदहापारा, बजरंग मंदीर के पास रायपुर मो0नं0–9826956641, 8817903346 पद स्टेनो टायपिस्ट (पी0डी0एस0 कक्ष) नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय अवन्ति विहार रायपुर छ0ग0।

---00---

पूछनें पर बताया कि, मैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम प्रधान कार्यालय मे स्टेनो टायपिस्ट के पद पर पदस्थ हुं। मौदहापारा का स्थायी निवासी हुं।

पूछनें पर बताया कि, मेरी प्रथम नियुक्ति खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम मे सन् 2002 मे कंटीजेंसी बेस पर हुई जहां मुझे 2600/–रू0 प्रति माह वेतन भत्ता मिलता था। सन् 2012 मे नियमितिकरण के पश्चात् स्टेनो टायपिस्ट के पद पर पदस्थ हुं। मैं प्रातः 10.30 पर कार्यालय पहुंच जाता था और शाम में लगभग 6.30 बजे तक उपस्थित रहते थे। कार्यालय के द्वितीय तल पर पी.डी.एस. कक्ष में बैठता था। जिलों में मांग के हिसाब से चॉवल का परिवहन किया जाता है। उक्त संबंध में पी.डी.एस. प्रभारी शिवशंकर भट्ट द्वारा नोटशीट के माध्यम से प्रबंध संचालक को अनुमति प्राप्त कर खाद्यान्न का परिवहन आदेश तैयार कर नेट के माध्यम से प्रेषित किया जाता है। शिवशंकर भट्ट को पी.डी.एस.(सार्वजनिक वितरण प्रणाली) सिस्टम के लिए अधिकृत किया गया था और जिलों में खाद्यान्न परिवहन के लिए एस.एन.प्रसाद राव, महाप्रबंधक (उपार्जन) अधिकृत थे, जो टेण्डर के माध्यम से जिलों में परिवहन का कार्य कराते थे।

पूछनें पर बताया कि, मैं शिवशंकर भट्ट साहब के साथ [illegible] काम करता था। मैं शिवशंकर भट्ट के अधिनस्थ पी.डी.एस. कक्ष में था और [illegible] प्राप्त होता था उस पत्र का जवाब मैं बनाता था और मैं नेट पर परिवहन आदेश [illegible] था और नेट से पी.डी.एस. में चॉवल, [illegible], शक्कर, [illegible] चना का आवंटन, उपलब्धता, वितरण एवं [illegible] की जानकारी निकालता था। यह जानकारी पी.डी.एस. के प्रभारी शिवशंकर भट्ट के सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करता था।

पूछनें पर बताया कि, चावल का स्टॉक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के गोदामों मे जमा कराया जाता है। जिसका [illegible] करना जाता है [illegible] बिल भुगतान संबंधी आवश्यक लिखा पढ़ी नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा किया जाता है जिसका क्वालिटी कंट्रोल के एवज में [illegible] वसूली प्राप्त होती है। जिलों से [illegible] (मिलिंग चार्ज) का पैसा अलग-अलग जिलों से अलग अलग संग्रहित होकर आता है [illegible] भट्ट साहब मुझे रखनें को बोलते थे एवं कुछ पैसा अपने पास भी रखते थे। पूछनें पर बताया कि यह [illegible] पैसा राईस मिलरों द्वारा [illegible] के [illegible]

चावल जमा करनें मे विभिन्न प्रकार की परेशानियों से मसलन लाट को रिजेक्ट करना, बेवजह चावल को अनलोड न करना, अनावश्यक डेमरेज चार्ज लगाना इत्यादि सुविधाओं को देनें के एवज में प्राप्त की जाती थी। पूछनें पर बताया कि उक्त अवैध राशि का संग्रहण जिले के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिले के जिला प्रबंधक के माध्यम से की जाती थी जो शिवशंकर भट्ट के पास प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा एवं सचिव खाद्य डॉ0 आलोक शुक्ला एवं मुख्यालय के अन्य अधिकारी/कर्मचारियों के लिए क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक अपना हिस्सा काटकर भेजते थे। चावल का पैसा प्रति क्विंटल के हिसाब से बनता था, प्रत्येक क्विंटल का चार रूपये की दर से हेडक्वार्टर रखता था तथा शेष हिस्सा क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक अपने पास रखते थे।

अरविन्द ने पूछताछ पर यह भी बताया कि उसके पास माह दिसंबर--जनवरी में टी0डी0 हरचंदानी, आर0पी0पाठक, क्षीरसागर पटेल, के0के0 यदु, आर0एन0सिंह, डी0के0 शर्मा, सतीश केवर्थ और सुधीर भोले मेरे पास भट्ट साहब के निर्देश पर अपने--अपने जिले का पैसा जमा करा के गये थे। दिसम्बर 2014 में शिवशंकर भट्ट साहब के निर्देश पर कम्पनी सेकेट्री संदीप अग्रवाल को उनके हिस्से का 01 लाख रूपये कलेक्शन राशि में से दिया हूँ।

पूछनें पर बताया कि, जिलो से जो भी व्यक्ति पैसा लेकर आता था उसके बारे मे भट्ट साहब को जानकारी होती थी वे मुझे बुलाकर बोलते थे किसी का फोन आयेगा तुम्हारे पास जो देगा लेकर रख लेना। रकम की जानकारी मुझे नहीं होता था। मै रकम की जानकारी का आना जाना को अपने घर पर रखे डायरी मे करता था। हर बार नये नये लोग पैसा लेकर आते थे मै रायपुर के सुधीर भोले को पहचानता हुं उससे मैनें भट्ट साहब के कहनें पर पैसा लिया था। मै यह पैसा रखनें का काम करीब एक डेढ़ साल से कर रहा हुं। इसके पूर्व यह कार्य स्टेनो टायपिस्ट कीर्तिकांत बारीक करता था। करीब 2 महीने पहले कस्टम मिलींग से आया पैसा 50 लाख रूपये को मैने 20 लाख का नया नया नोट बैंक से बदल कर लिया था। दिनांक 12.02.2014 को सुबह करीब 8--9 बजे भट्ट साहब ने फोन करके कोड वर्ड मे बोले कि तुम्हारे पास जो 20 फाईल है उसको एम0डी0के पी0ए0 गिरीश शर्मा को दे देना। 20 फाईल का मतलब 20 लाख रूपये है। यह रकम 1 [illegible] पहले ही मेरे पास आया था। करीब 11 बजे गिरीश शर्मा साहब ने ऑफिस मे मुझे बोला कि भट्ट साहब ने जो पैसा मुझे देने को बोला होगा वो मुझे दे दो तब मैंने कहा कि पैसा तो घर पर है मै जाकर लेकर आता हुं। मै ऑफिस के कार से [illegible] के पास गया वहां मेरे [illegible] को मैनें फोन करके [illegible] को बोला तब उसने मुझे [illegible] लेकर दिया [illegible]। लेकर मै सीधा आफिस गया जहां से 20 लाख रू0 निकाल कर मैंने पी0ए0 गिरीश शर्मा जी को दे दिया। पैसो के बारे मे डिटेल जानकारी मेरे डायरी मे लिखा है। पूछनें पर बताया कि [illegible] डायरी भी एसीबी के अधिकारियों ने मेरे पास से जप्त की है।

पूछनें पर बताया कि, रायगढ़, जांजगीर, कांकेर, बस्तर, सुकमा, [illegible] बाजार से भी पैसा आता था। रायगढ़ से करीब 8.40 लाख, बलौदा बाजार से 1.80 लाख, कांकेर से 4 लाख, सुकमा से 1.40 लाख रू0 मिला था। भट्ट साहब [illegible] को अपने नॉन कार्यालय मे अपनी आलमारी व फाइलों मे रखते थे और जब यह रकम [illegible] हो जाती थी तो फिर मेरे और जीवराज [illegible] रखवाते थे, जो [illegible] को रकम वितरण करने कहा जाता था। [illegible] हम लोगो से [illegible] पूर्व एसीबी [illegible] की टीम ने [illegible] हुए ट्रेप किया था [illegible]

रखते थे। पैसा आने जाने का हिसाब मै अपने डायरी मे लिखता हुं लेकिन अभी कुछ दिन का लिख नहीं पाया हुं सोचा था शनिवार को अवकाश रहेगा उस दिन लिखुंगा उससे पहले यह छापा पड़ गया। पैसों के माहवार वितरण का एक लिस्ट बनता है जो कीर्तिकांत बारिक जो भट्ट साहब का पी0ए0 है उसके पास रखता था। एक बार भट्ट साहब के कहनें पर अतुल नाम के ठेकेदार को जिसको देखकर पहचान लुंगा 10 लाख रू0 लिया था। बाद मे मैने गिना तो 15 हजार रू0 कम था। पैसो के लेने देन के बारे मे मैने अपने डायरी मे लिखा है। पूछनें पर बताया कि, जब भी प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा एवं सचिव खादय डॉ0 आलोक शुक्ला को पैसे की जरूरत होती थी प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा शिवशंकर भट्ट को फोन करके बताते थे। शिवशंकर भट्ट के कहनें पर मै वह रकम पी0ए0 टू0 एम0 डी0 गिरीश शर्मा को उनके कक्ष मे लेजाकर दिया करता था। यही मेरा कथन है।

दिनांक 18.02.2015

ROAC, before me,

(एम0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर।